राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।
वाद संख्या–01/2024
दुर्गा चरण मिश्रा बनाम मंगरी देवी एवं अन्य।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–09.05.2024, दिनांक–03.07.2024, दिनांक–17.10.2024 एवं दिनांक–21.11.2024 को हुई, जिसमें वादी स्वयं एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री माया शंकर मिश्रा उपस्थित रहे तथा प्रतिवादियों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे एवं श्री मनोज माथुर उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की तरफ से अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु श्री विद्यानाथ पासवान, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर प्राधिकृत किये गये।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि सभी प्रतिवादियों द्वारा धन लेकर पंचायत समिति ब्रहमपुर की प्रमुख उषा देवी के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तथा उनके द्वारा यह धन/राशि या तो अपने पति या निकटस्थ संबंधियों के खाते में प्राप्त किया गया है। उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि प्रतिवादियों का कृत्य Horse Trading है, जो कि भ्रष्टाचार के श्रेणी के अन्तर्गत आता है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि सभी प्रतिवादी बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1)(J) भ्रष्ट आचरण के दोषी है। अतः इन्हें पंचायत समिति सदस्य के पद से हटाया जाना चाहिए। अपने दावें के समर्थन में वादी के द्वारा दिए गए, Transaction Details का बारी–बारी से अवलोकन आयोग को कराया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का यह वाद आयोग में Maintainable नहीं है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1)(J) के तहत किसी पंचायत प्रतिनिधि को भ्रष्ट आचरण के आरोप में तभी पद से हटाया जा सकता है, जब सक्षम प्राधिकार/न्यायालय द्वारा उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि यदि उनके पास साक्ष्य है, तो उन्हें सर्वप्रथम Public Corruption Act के तहत सक्ष्म न्यायालय में वाद लाना चाहिए, यदि उस न्यायालय का निर्णय इनके पक्ष में प्राप्त होता है, तब वो आयोग में वाद लाने हेतु स्वतंत्र होगें। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि यदि वादी के पास Horse Trading का पुख्ता साक्ष्य है, तो उन्हें तुरंत F.I.R. करानी चाहिए थी। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वास्तव में यह वाद राजनितिक प्रतिद्वंदिता की उपज है, क्योंकि इस वाद के वादी श्री दुर्गा चरण मिश्रा की माँ को प्रतिवादियों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रमुख के पद से अपदस्त कर दिया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा पत्रांक–16–0993/पं0 दिनांक 16.08.2024 द्वारा जाँच – सह सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया

गया। जाँच पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरावँ के निष्कर्ष के अनुमोदनोपरांत उनके द्वारा आयोग को प्रेषित किया गया है, जिसका प्रभावकारी अंश निम्नवत् है–

"उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिशीलन से यह स्पष्ट हो रहा है कि श्री ददन यादव के द्वारा यह बताया जाना कि विभिन्न वर्णित व्यक्तियों के साथ किया गया लेन–देन व्यवसाय संबंधी है, भ्रामक प्रतीत होता है। इस संबंध में श्री ददन यादव के द्वारा अपने व्यवसाय से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया यथा व्यवसाय से संबंधी GST पंजीकरण विवरण, व्यवसाय संबंधी लेन–देन का GST Return अथवा Income Tax Return उनके द्वारा व्यवसाय से संबंधी लेन–देन अपने बचत खाता से करना स्पष्ट रूप से भ्रामक है अथवा वित्तीय अनुशासन के विपरीत है, क्योंकि सामान्यतः व्यवसायिक लेन–देन चालू खाते से किया जाता है। वहीं श्री राजकुमार यादव द्वारा शपथ पत्र में उल्लेख किया जाना है कि श्री ददन यादव उनके मित्र है एवं बिना किसी पारिश्रमिक के उनके द्वारा उनके कर्मी के रूप में वित्तीय कार्य किया जाना संदेहास्पद है। श्री विजय कुमार प्रसाद, रामाशंकर तिवारी, भरत ठाकुर के द्वारा अपने कथन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री ददन यादव द्वारा किया गया लेन–देन व्यवसायिक लेन–देन नहीं है।"

आयोग द्वारा वादी के वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों, साक्ष्यों एवं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन प्रतिवेदन के साथ–साथ बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के संगत प्रावधानों का सावधानी से अवलोकन एवं परीक्षण किया गया, तो पाया गया कि यह वाद मूलतः श्रीमती उषा देवी, तत्कालीन प्रमुख, प्रखंड पंचायत समिति ब्रहमपुर, जिला–बक्सर के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने एवं उनके विपक्ष में मतदान करने से संबंधित है। वादी का यह दावा है कि प्रतिवादियों द्वारा ऐसा करने के लिए श्रीमती मंगरी देवी, वर्तमान प्रमुख, प्रखंड पंचायत समिति ब्रहमपुर, जिला–बक्सर के पति श्री ददन यादव से पैसा प्राप्त किया गया है। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया है कि प्रतिवादियों के खाते में दावा किये जा रहे पैसों का अंतरण किया गया है, जिसका साक्ष्य उनके द्वारा अपने वाद पत्र में संलग्न किया गया है।

आयोग द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136(1)(J) का अवलोकन किया गया जो निम्नवत् है–

"136(1) (J)- has been found guilty of corrupt practices."

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि निर्वाचित प्रतिनिधि को निरर्हित करने हेतु यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो।

किसी व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाये जाने का निर्णय सक्षम न्यायालय अथवा इसके निमित्त गठित वैधानिक संस्थायें यथा–लोकपाल आदि अथवा सक्षम प्राधिकार इस अधिनियम के निमित्त धारा 141 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत संबंधित सब जज द्वारा ही किया जा सकता है, आयोग द्वारा नहीं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर के जाँच सह सत्यापन प्रतिवेदन में उक्त लेन–देन को भ्रामक, वित्तीय अनुशासन के विपरीत तथा गैर

व्यवसायिक लेन–देन बताया गया है, परंतु उनके द्वारा यह स्थापित नहीं किया गया है कि उक्त लेन–देन का संबंध वादी के दावे के अनुसार निवर्तमान प्रमुख को पद से हटाने एवं मंगरी देवी के पक्ष में मत देने हेतु किया गया है, एवं दावा किये जा रहे लेन–देन में मंगरी देवी के भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है।

आयोग द्वारा रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्ण पीठ द्वारा दिये गये न्यायनिर्णय से भी मार्ग दर्शन प्राप्त किया गया, जिसके आदेश खण्ड में अंकित है कि –

"Whenever a disputed question of facts and a contentious issue is brought before the Commission as a ground and basis to render a candidate disqualified, the Commission would be required to relegate the parties to a competent court/tribunal or a factfinding body competent to decide such contentious issues after taking evidences and till such time the Commission shall not take a decision on such complaint either suo-moto or otherwise."

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जबतक सक्षम न्यायालय/प्राधिकार/प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रतिवादियों के खाते में किये गये राशि के अंतरण को भ्रष्ट आचरण घोषित या प्रमाणित नहीं कर दिया जाता आयोग उन्हें पदमुक्त अथवा निरर्हित नहीं कर सकता। अतः आयोग प्रतिवादियों को निरर्हित किये जाने संबंधी अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता।

प्रतिवादी द्वारा इस आधार पर Maintainability को चुनौती दी गयी है कि आयोग यह वाद तभी सुन सकता है, जबकि उनके मुवक्किलों के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय/प्राधिकार द्वारा यह आदेश पारित कर दिया जाये कि वे भ्रष्ट आचरण के दोषी है, परन्तु आयोग उनके इस तर्क से सहमत नहीं है कि यह वाद आयोग में Maintainable नहीं है। किसी वाद के Maintainability बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 एवं धारा–136(1) में वर्णित विषयों के आधार पर निर्धारित की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा रजनी कुमारी वाद में यह स्थापित किया जा चुका है कि आयोग धारा–135 एवं 136(1) में वर्णित सभी विषयों पर सुनवाई हेतु सक्षम प्राधिकार है। प्रतिवाद का तर्क न्यायिक प्रक्रिया के द्वितीय खण्ड अर्थात् तथ्यात्मक खण्ड पर लागू है कि जो साक्ष्य वादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसके आधार पर उन्हें निरर्हित किया जा सकता है, अथवा नहीं। अतः प्रतिवादी के Maintainability संबंधी दावें को खारिज किया जाता है।

आयोग द्वारा यह पाया गया है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर के सत्यापन प्रतिवेदन में स्थापित किया गया है कि प्रतिवादियों के पक्ष में प्रतिवादी संख्या–01 श्रीमती मंगरी देवी के पति श्री ददन यादव द्वारा किया गया राशि अंतरण सामान्य प्रकार से किये जाने वाले लेन–देन से भिन्न है, तो वादी उपलब्ध साक्ष्यों एवं सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवादियों को भ्रष्ट आचरण का दोषी घोषित कराने हेतु सक्षम न्यायालय/प्राधिकार में वाद लाने हेतु स्वतंत्र है। यदि सक्षम न्यायालय/प्राधिकार द्वारा वादी

के दावों को सत्य पाते हुये, वादी के पक्ष में निर्णय दिया जाता है, तो वादी प्रतिवादियों के विरूद्ध निरर्हता हेतु पुनः वाद ला सकते हैं।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
05.12.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
05.12.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

पटना, दिनांक– 5.12.24

ज्ञापांक–01/2024 4259

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **बक्सर**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **बक्सर** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादियों को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

05/12/24
विशेष कार्य पदाधिकारी